संख्या /08–XIX–2/111 खाद्य/2002

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1)आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(3)संभागीय खाद्य नियंत्रक
गढ़वाल संभाग, देहरादून/
कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

(4) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 26 मई, 2008.

विषयः–लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए0पी0एल योजना में वर्ष 2008–09 हेतु खाद्यान्न का मासिक आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 116 /08–XIX–2/111 खाद्य/2002 दिनांक 10 अप्रैल, 2008 एवं तत्संबंधी संशोधित शासनादेश संख्या– 194 /08–XIX–2/111 खाद्य/2002 दिनांक 12 मई, 2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 1–1/2008–बीपी –।।।–Part-I (27), दिनांक 15 मई , 2008 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य हेतु ए0पी0एल0 अन्न योजना के लिए माह अप्रैल, 2008 से माह मार्च, 2009 तक खाद्यान्न का संशोधित आवंटन निम्नवत किया गया है:–

	माह अप्रैल 2008 से माह मई, 2008 हेतु खाद्यान्न का मासिक आवंटन (मै0टन में)		
ए0पी0एल0	चावल	गेहूँ	योग
	3524	1566	5090
	माह जून, 2008 से माह मार्च, 2009 हेतु खाद्यान्न का मासिक आवंटन		
	0	5090	5090

उपर्युक्त तालिका में आवंटित माह जून, 2008 से माह मार्च, 2009 तक गेहूँ के जनपदवार मासिक आवंटन (ए0पी0एल0) हेतु **संलग्नक** में निर्धारित ब्रेकअप के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

2– सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण जनपद पिथौरागढ, चम्पावत एवं चमोली के जिलाधिकारियों द्वारा इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की मात्रा में बढोत्तरी हेतु निरन्तर की जा रही मॉग के दृष्टिगत संभागीय खाद्य नियत्रंक

कुमायूँ /गढवाल संभाग सुनिश्चित करेंगे कि जिन जनपदों में ए0पी0 एल0 योजना के अंतर्गत गेहूँ की माँग हो उन जनपदों को अन्य जनपदों से , जहाँ उक्त योजना के अंतर्गत गेहूँ की माँग नहीं हो रही है अथवा न्यून हो उन जनपदों के आवंटन में कटौती कर , वास्तविक माँग का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने स्तर से गेहूँ का आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उपर्युक्त शासनादेश 116 /08–XIX–2/111 खाद्य/2002 दिनांक 10 अप्रैल, 2008 एवं तत्संबंधी संशोधित शासनादेश संख्या– 194 /08–XIX–2/111 खाद्य/2002 दिनांक 12 मई, 2008 की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव।

संख्या 528 (1)/06–XIX–2/111 खाद्य/02 टीसी,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2. अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 1–1/2008–बीपी –।।।–पार्ट–। (27), दिनांक 15 मई , 2008 के संदर्भ में ।
3. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विभाग, उत्तरांखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी, खाद्य, गढ़वाल संभाग, देहरादून/कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।
6. अपर सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ ।
7. निजी सचिव, खाद्य मंत्री उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव।

(माह जून , 2008 से मार्च, 2009 तक के खाद्यान्न (गेहूँ) का मासिक ब्रेक–अप)

शासनादेश सं0–228/08–XIX–2/111–खाद्य/02 टी0सी, दिनांक 26 मई, 2008 का संलग्नक

ए0पी0एल0 योजना

मात्रा (मी0टन में)

गढ़वाल संभाग

क0सं0	जनपद का नाम	कुलमात्रा (35 किलो प्रतिकार्ड)
1.	पौड़ी गढ़वाल	471.50
2.	रूद्रप्रयाग	119.70
3.	टिहरी	297.70
4.	उत्तरकाशी	122.60
5.	हरिद्वार	823.40
6.	देहरादून	927.50
7.	चमोली	163.30
	योगः–	2925.70
कुमायूँ संभाग		
8.	नैनीताल	562.30
9.	अल्मोड़ा	322.80
10.	पिथौरागढ़	214.50
11.	ऊधमसिंहनगर	845.10
12.	बागेश्वर	112.70
13.	चम्पावत	106.90
	योगः–	2164.30
	महायोगः–	5090.00

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव।